आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.6(29)नविवि / 3 / 2004 /   जयपुर दिनांक 29 NOV 2022

आदेश

कई निकायों द्वारा अकृषि भूमि के वैध स्वामित्व के दस्तावेज / पट्टे जिनमें लीज राशि का उल्लेख नहीं है अथवा विभाग को लीज होल्ड पर ही पट्टे देने का अधिकार था उनमें भी स्वामित्व के दस्तावेज सर्मपण कर फ्री–होल्ड पट्टा लेने अथवा भू–उपयोग परिवर्तन करवाने पर लीज राशि के संबंध में सक्षम स्तर से लिए गए निर्णय अनुसार निकायों के अधिनियमों की धारा 69–ए, 54–ई, 50–बी, व 60–सी के अन्तर्गत अकृषि भूमि पर सम्पत्ति का वैध स्वामित्व यथा रियासतकालीन पट्टा, आवंटन पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत बंटवारनामा एवं वसीयत आदि तथा किसी भी विभाग या स्थानीय निकाय द्वारा जारी पट्टा, लीज–डीड, आवंटन पत्र, सम्परिवर्तन आदेश, लाईसेंस पत्र आदि है जिनमें लीज राशि (लीज–होल्ड) का उल्लेख नहीं है उनके आधार पर फ्री–होल्ड पट्टा लेने या भू–उपयोग परिवर्तन कराने पर कोई लीज राशि देय नही हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

25.11.2022

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन सचिव

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम